

प्रेषक,

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, 30प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, 30प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 07 सितम्बर 2016

विषय:-शैक्षिक सत्र-2016-17 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा-11 व 12 तथा गुप-1, 2, 3, व 4 (कक्षा-11 व 12 को छोड़कर) में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु समय-सारिणी के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2172/स.क.शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-06-09-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा-11 व 12 तथा गुप-1, 2, 3, व 4 (कक्षा-11 व 12 को छोड़कर) हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिये निम्नवत् संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जाती है:-

क्र.स.	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	पूर्व में निर्धारित समयावधि कक्षा 11-12 हेतु	संशोधित समयावधि कक्षा 11-12 हेतु	पूर्व में निर्धारित समयावधि समूह-1, 2, 3 व 4 (कक्षा 11-12 को छोड़कर)	संशोधित समयावधि समूह-1, 2, 3 व 4 (कक्षा 11-12 को छोड़कर)
1	प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर (अन्य प्रदेशों में) स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना एवं मास्टर डाटा में समस्त प्रविष्टियां पूर्ण/अपडेट करने की कार्यवाही किया जाना।	01 मई 2016 से 15 जुलाई 2016 तक	15 सितम्बर 2016 तक	01 मई 2016 से 15 जुलाई 2016 तक	15 सितम्बर 2016 तक
2	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों, पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रम के प्रकार आदि की प्रमाणिकता को शत-प्रतिशत आनलाईन सत्यापित करना	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016	16 जुलाई 2016 से 25 सितम्बर 2016 तक।	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक	16 जुलाई 2016 से 25 सितम्बर 2016 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त शिक्षण संस्थानों, पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रम के प्रकार आदि की प्रमाणिकता को शत-प्रतिशत आनलाईन सत्यापित करना	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक	16 जुलाई 2016 से 25 सितम्बर 2016 तक	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक	16 जुलाई 2016 से 25 सितम्बर 2016 तक।
4	सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त शिक्षण संस्थानों, पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रम के प्रकार आदि की प्रमाणिकता को शत-प्रतिशत आनलाईन सत्यापित करना	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक	16 जुलाई 2016 से 25 सितम्बर 2016 तक	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक	16 जुलाई 2016 से 25 सितम्बर 2016 तक।
5	4-आई0टी0आई0, पालीटेक्निक, स्टेट मेडिकल काउन्सिल तथा एस0सी0आर0टी0 द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त शिक्षण संस्थानों, पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रम के प्रकार आदि की प्रमाणिकता को शत-प्रतिशत आनलाईन सत्यापित करना	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक	16 जुलाई 2016 से 25 सितम्बर 2016 तक	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक।	16 जुलाई 2016 से 25 सितम्बर 2016 तक।
6	योजनाधिकारी,वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित संस्थानों हेतु) एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों की फीस का विवरण शत-प्रतिशत आनलाईन लाक किया जाना	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक	16 जुलाई 2016 से 30 सितम्बर 2016 तक	16 जुलाई 2016 से 31 अगस्त 2016 तक	16 जुलाई 2016 से 30 सितम्बर 2016 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

आनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में					
7	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन किया जाना	01 जुलाई से 31 अगस्त, 2016 तक	01 जुलाई से 15 सितम्बर, 2016 तक	01 जुलाई से 30 सितम्बर, 2016 तक	01 जुलाई से 30 सितम्बर, 2016 तक
8	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
9	आनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 07 सितम्बर, 2016 तक	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 22 सितम्बर, 2016 तक	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 07 अक्टूबर, 2016 तक	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 07 अक्टूबर, 2016 तक
10	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	01 जुलाई से 14 सितम्बर, 2016 तक	01 जुलाई से 29 सितम्बर, 2016 तक	01 जुलाई से 14 अक्टूबर, 2016 तक	01 जुलाई से 14 अक्टूबर, 2016 तक
11	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना	01 जुलाई से 17 सितम्बर 2016 तक	01 जुलाई से 03 अक्टूबर 2016 तक	01 जुलाई से 17 अक्टूबर, 2016 तक	01 जुलाई से 17 अक्टूबर, 2016 तक
12	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना एवं PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना	18 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2016 तक	03 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2016 तक	18 अक्टूबर से 05 नवम्बर 2016 तक	18 अक्टूबर से 05 नवम्बर 2016 तक
13	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय	31 अक्टूबर, 2016 तक	15 नवम्बर, 2016 तक	30 नवम्बर, 2016 तक	30 नवम्बर, 2016 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना				
14	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	01 से 10 नवम्बर 2016 तक	01 से 10 नवम्बर 2016 तक	01 से 10 नवम्बर 2016 तक	01 से 10 नवम्बर 2016 तक
15	आनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी छात्र/ छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 13 नवम्बर 2016 तक	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 13 नवम्बर 2016 तक	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 13 नवम्बर 2016 तक	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 13 नवम्बर 2016 तक
16	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	01 नवम्बर से 16 नवम्बर, 2016 तक	01 नवम्बर से 16 नवम्बर, 2016 तक	01 नवम्बर से 16 नवम्बर, 2016 तक	01 नवम्बर से 16 नवम्बर, 2016 तक
17	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना	17 नवम्बर से 30 नवम्बर 2016 तक	17 नवम्बर से 30 नवम्बर 2016 तक	17 नवम्बर से 30 नवम्बर 2016 तक	17 नवम्बर से 30 नवम्बर 2016 तक
18	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना	15 दिसम्बर, 2016 तक	15 दिसम्बर, 2016 तक	15 दिसम्बर 2016 तक	15 दिसम्बर 2016 तक
19	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना	25 दिसम्बर 2016 तक	25 दिसम्बर 2016 तक	25 दिसम्बर 2016 तक	25 दिसम्बर 2016 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

20	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	31 दिसम्बर, 2016 तक	31 दिसम्बर, 2016 तक	31 दिसम्बर, 2016 तक	31 दिसम्बर, 2016 तक
----	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2016-17 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सुनील कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव

पू0सं0-161/2016/आर-3760(1)/26-3-2016 तद्विनंक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, वित्त, नियोजन, मा0शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- कुल सचिव, अब्दुल कलाम, तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई योजना भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।